

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 04/अ-82/17-18/चिखल्दाखुर्द / 5358

बैतूल दिनांक 7.06.2019

// घोषणा //

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	शाहपुर	चिखल्दा खुर्द	0.406	ईटारसी-नागपुर, तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०में
1	2	3	4	5
1	सेवकराम वल्द नानकराम, आशा, रुकमणी पिता नानकराम, सुन्दरबाई बेवा ओमकार, कमला, त्रिवेणी पुत्री ओमकार आशा बेवा कान्ती, गोलू, सूरज, मोहनी, नाबा वल्द कान्ती वली मां आशा बेवा कान्तीलाल कीर जाति कीर सा० देह	132/2	0.211	0.015
2	प्रहलाद वल्द बालमुकुन्द, रज्जो, मर्री, जयवंती पिता बालमुकुन्द, जाति अ०जा० सा० देह	121/1	0.538	0.086
	अजुद्दी बेवा मुकुन्दी, महेश, दिनेश, सुशीला, दुजिया वल्द मुकुन्दी जाति अ०जा० सा० देह	121/2	0.538	
3	लुथियाबाई बेवा भैयालाल, रामभरोस, रामाधार, अशोक, राजेश, वल्द भैयालाल गुलता, इन्द्रवति, उर्मिला, पिता भैयालाल सुनिता बेवा राकेश, रिन्कू वल्द राकेश, सोहित ना बा वल्द राकेश, प्रीति, प्रियंका, ना बा पिता राकेश वली मां सुनिता बेवा राकेश सा० देह	120	0.077	0.004
4	बाबूलाल वल्द ठप्पू गोंड सा० देह	118	0.235	0.007
5	सुर्यकांत वल्द मिश्रीलाल जाति सोनी सा० देह	116	3.015	0.113
6	कैलाश वल्द शंकरलाल जाति गौली सा० देह	96	1.113	0.108
7	कैलाश वल्द शंकरलाल जाति गौली सा० देह	94	0.162	0.051
8	भागवती बेवा बाबूलाल, लक्ष्मीनारायण, देवनारायण, जीवनलाल, प्रेमवती, मीरा, गीता वल्द बाबूलाल जाति कीर सा० देह	92	0.113	0.022
योग			6.002	0.406

2- चूंकि तीसरी रेलवे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

MKP

(तरुण कुमार पिथोड़े)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग



पृ० क्रमांक 04/अ-82/17-18/चिखल्दाखुर्द/ 5358

बैतूल दिनांक 7 .06.2019

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म०प्र० भोपाल की ओर म०प्र० राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक जनसम्पर्क संचालनालय विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन बैतूल जिले में सर्वाधिक दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करे।
- 3- उप मुख्य अभियंता मध्य रेल्वे अंजनी नागपुर (महा०) को कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन कराने हेतु अग्रषित।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी) सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार शाहपुर की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल/ग्राम पंचायत पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

अपर कलेक्टर एवं
प्र०अ०भू-अर्जन शाखा बैतूल